राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(42) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/M-I/प्रगति–2/2017–18 जयपुर, दिनांक 6 फरवरी, 2018

जिला कलक्टर,
राजसमन्द, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की प्रगति के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 30.01.2018

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में स्वीकृत आवासों में से प्रथम किश्त जारी होने के उपरान्त द्वितीय किश्त जारी नहीं की गई है की प्रगति की समीक्षा कर उक्त आवासों का निरीक्षण कराकर द्वितीय किश्त जारी कराकर निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

योजना की राज्य स्तर पर समीक्षा करने पर वर्ष 2017–18 के स्वीकृत आवासों में से आपके जिले द्वारा 2964 (69%) आवासों को प्रथम किश्त जारी होने के उपरान्त द्वितीय किश्त जारी नहीं की गई है, जो खेदजनक है।

सामान्यतः प्रथम किश्त जारी होने के उपरान्त दासा स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्ण कराने में 10–15 दिन का समय लगता है, तदुपरान्त द्वितीय किश्त जारी कर दी जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त आवास या तो प्रारम्भ नहीं किये गये हैं या निरीक्षण नहीं होने के कारण द्वितीय किश्त जारी नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रकरणों की समय पर समीक्षा नहीं होने से आवास की लागत में भी वृद्धि हो जाती है एवं आवास या तो देरी से पूर्ण होते हैं या पूर्ण ही नहीं होते, जैसा इन्दिरा आवास योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अंतर्गत देखा गया है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से योजना की प्रगति की समीक्षा कर उक्त आवासों का निरीक्षण कराकर द्वितीय किश्त जारी कराकर निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावे।

6.2.2018

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) राजसमन्द, राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

AEN PC/ D:\Letter\Aen\Aen (2017-18).docx 105